AAJ, Varanasi, 22.4.2024
Page No. 8, Size:(6.18)cms X (4.95)cms.

शिकायतों का मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

चंदौली। मानवाधिकार आयोग सीडब्लूए द्वारा मृतक मजदूर के परिजनों को मुआवजा न दिये जाने पर मानवा अधिकार आयोग में की गयी शिकायत का आयोग ने संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश चीफ सेक्रेटरी को मृतक के परिवार को पांच लाख रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया है। आयोग ने मृतक पीड़ित गौतम कुमार को मुआवजे के रूप में पांच लाख रुपए और घायल सुलई खान को एक लाख रूपये के मुआवजे की भुगतान की सिफारिश किया है। आयोग ने चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार को चार सप्ताह की अवधि में मुआवजा राशि का वितरण सुनिश्चित करे। और तदनुसार भुगतान के प्रमाण पत्र के साथ अनुपालन रिपोर्ट अयोग को भेजे। अयोग ने अनुपालन रिपोर्ट 26 मई 2024 तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि शहाबगंज थाना अंतर्गत मानिकपुर गांव के पास बीते मार्च 2023 में कंटेनर में करंट उतर जाने से एक व्यक्ति की मौत और एक व्यक्ति घायल हो गया था। दरसल पूरा मामला शहाबगंज थाना क्षेत्र का है जहाँ एक कंटेनर पांच मजदूरों को लेकर भूसी लोड करने के लिए मानिकपुर गांव जा रहा था। उसी दौरान ग्यारह हजार वोल्टेज जर्जर तार के चपेट में कंटेनर आ गया। जिसमे दो मजदूर गौतम कुमार पुत्र जमुना राम व सुलई खान पुत्र पखड़ू निवासी रामगढ़वा जिला चंदौली गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने दोनो घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहा इलाज के दौरान गौतम कुमार की मौत हो गई। वही पुरे प्रकरण को संज्ञान मे लेकर मानवाधिकार सी डब्लू ए के चेयरमैन योगेंद्र कुमार सिंह योगी ने घटना की शिकायत आयोग में भेजकर मृतक एवं घायलों के परिवार को उचित मुवावजा दिलाने का अनुरोध किया था। अयोग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ, जिलाधिकारी चंदौली एवं पुलिस अधीक्षक चंदौली से रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। आयोग के निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमे यह संकेत नहीं दिया गया था की मामले में कोई मामला दर्ज किया गया था या नही।

PIONEER, Bhubaneswar, 22.4.2024
Page No. 2, Size:(13.00)cms X (7.41)cms.

NHRC seeks ATR on transgenders' rights

PNS ■ BHUBANESWAR

The National Human Rights Commission (NHRC) on Friday sought an action-taken report (ATR) from the Secretary of the Ministry of Social Justice and Empowerment on the issues of denial of rights to the transgenders including their voting rights.

The NHRC passed the order acting on a petition filed by lawyer and human rights activist Radhakanta Tripathy.

Citing the example of Odisha where only around 17 per cent of transgenders' population features in the electoral list, the petitioner stated that as per the State Chief Electoral Officer's (CEO) constituency-wise electorate information, the highest number of 560 third gender voters is in Khordha district followed by 275 in Balangir, 273 in Ganjam and 265 in Cuttack.

The number of transgender voters among the total population of voters being so low, the government adopts a lackadaisical and negligent attitude in taking up the issues relating to the transgender community, the petitioner alleged. The NHRC sought for the ATR from the Ministry of Social Justice and Empowerment within a period of six weeks. After receiving the report from the authorities, the matte would be decided by a Full Bench of the NHRC, post issuance process.

Odisha: NHRC issues notice to Centre over missing transgenders from voters list

https://www.thestatesman.com/india/odisha-nhrc-issues-notice-to-centre-over-missing-transgenders-from-voters-list-1503292616.html

The NHRC passed the order acting on a petition filed by human right lawyer Radhakanta Tripathy.

The National Human Rights Commission (NHRC) has sought an Action Taken Report (ATR) from the Ministry of Social Justice and Empowerment on the issues pertaining to denial of rights to the transgender community including their voting rights.

The NHRC passed the order acting on a petition filed by human right lawyer Radhakanta Tripathy.

Citing the example of Odisha where only around 17 per cent of transgender population features in the electoral list, the petitioner stated as per the chief electoral officer's constituency-wise elector information, the highest number of 560 third gender voters are in Khurda district, followed by 275 in in Balangir, 273 in Ganjam and 265 in Cuttack.

The number of voters from the total population of voters is so low, it proves the lackadaisical and negligent attitude of the Government in taking up the issues related to the Transgender Community, the plea alleged.

It is pertinent to mention here that pursuant to NHRC notice on Tripathy's petition, the Government of India had constituted National Council for Transgender Persons, on 21 August, 2020. This is the first statutory body working for the welfare of transgender in India.

Subsequently, the NHRC formulated and issued an Advisory for Protection of the Rights of LGBTQI + Community on 16 October,2020 covering various aspects like food, education, protection, financial help, etc.

The violation of Transgenders right to vote and other rights and deprivation of basic necessities of life has been continuing on account of failure on part of States and Union Territories to implement NALSA judgment of the Supreme Court and provisions of Transgenders Persons(Protection of Rights) Act,2019 and other UN Conventions, Tripathy contended.

The NHRC sought for the ATR from the Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India calling for an action taken report within a period of six weeks.

Kozhikode MCH sexual assault case: NHRC accepts complaint filed on behalf of survivor

https://www.thehindu.com/news/national/kerala/kozhikode-mch-sexual-assault-case-nhrc-accepts-complaint-filed-on-behalf-of-survivor/article68091673.ece

As the survivor in the Kozhikode Government Medical College Hospital (MCH) ICU sexual assault cases completed four days of protest in front of the office of the District Police Chief (Kozhikode City) on Sunday, the National Human Rights Commission (NHRC) has accepted on file a complaint on her behalf filed by human rights activist Noushad Thekkayil.

The survivor is staging the protest braving the scorching heat and health issues demanding copies of reports of various investigations carried out based on her complaints.

"One of the reports we seek is that of the investigation carried out by ACP K. Sudarshan against gynaecologist K.V. Preethi based on allegations that she did not furnish the full details regarding the survivor's statement to the police as well as the investigation panel. Another was based on a complaint filed with the Director General of Police regarding the misbehaviour of the District Police Chief towards the survivor and the third was a demand to the DGP to reinvestigate the first case," Mr. Thekkayil told The Hindu here on Sunday.

Meanwhile, the survivor's health condition is worsening. "I demanded an audience with the District Police Chief and he asked me to meet him alone. Why should I do that? Why can't I take one or two people whom I trust with me to meet him?" said the survivor.

The District Police Chief has said that he is not legally permitted to provide her the report on the investigation into Dr. Preethi's statement as she was a witness in the sexual assault case, which is sub judice. The survivor has also approached the State Information Commission demanding the same report. However, her plea has not been heard over the last five months.

"I will not quit. I will fight until I get justice or die trying. I am fighting for all women who may face the same plight in hospitals," said the survivor. Meanwhile, complaints have been filed with the State Human Rights Commission and State Minorities Commission on her behalf, and several organisations have turned up to support her.

The woman was allegedly sexually assaulted by an attender on March 18, 2023, when she was still under sedation after a thyroid surgery. While the attender has been dismissed, the survivor has complained that her statement was not recorded completely by Dr. Preethi who carried out the initial physical examination.

STATESMAN, Bhubaneswar, 22.4.2024
Page No. 3, Size:(10.03)cms X (4.80)cms.

Transgender missing from voters' list: NHRC notice to Centre

STATESMAN NEWS SERVICE
BHUBANESWAR, 21 APRIL:

The National Human Rights Commission (NHRC) has sought for Action Taken Report (ATR) from the Secretary, Ministry of Social Justice on the issues pertaining to denial of rights of the transgender including their voting rights.

The NHRC passed the order acting on a petition filed by human right lawyer Radhakanta Tripathy.

Citing the example of Odisha where only around 17% of transgender population features in the electoral list, the petitioner stated as per the chief electoral officer (CEO)'s constituency-wise elector information, the highest number of 560 third gender voters are in Khurda district, followed by 275 in in Balangir, 273 in Ganjam and 265 in Cuttack.

The number of voters from the total population of voters is so low, it proves the lackadaisical and negligent attitude of the Government in taking up the issues relate to the Transgender Community, the petitioner alleged.

It is pertinent to mention here that pursuant to NHRC notice on Tripathy's petition, the Government of India had constituted National Council for Transgender Persons, on 21 August, 2020. This is the first statutory body working for the welfare of transgender in India. Subsequently, the NHRC formulated and issued an Advisory for Protection of the Rights of LGBTQI + Community on 16 October, 2020 covering various aspects like food, education, protection, financial help, etc.

Noticing, couple of petitions filed by Tripaty, the NHRC also issued advisories especially for the welfare of the Transgenders on 26th September, 2023..

The NHRC sought for the ATR from the Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India calling for an action taken report within a period of six weeks. After receiving the rookies from the Authorities the matter will be decided by the Full Bench of NHRC, post issuance process.

JANSANDESH TIMES, Lucknow, 22.4.2024
Page No. 8, Size:(13.14)cms X (12.05)cms.

चुनाव में मानवाधिकार को मुद्दा बनायें

प्रसंगवश

प्रस्तुति : सीमा आजाद

किसी भी स्वस्थ होते लोकतन्त्र की यह पहचान होती है कि उसमें मानवाधिकार हनन की घटनायें कम से कम होती जायं और सत्ता के अधिकार की जगह मानवाधिकार मजबूत होता जाय। लेकिन हमारे देश में खासतौर से हमारे प्रदेश में उल्टा हो रहा है। जैसे-जैसे लोकतन्त्र की आयु बढ़ रही है, वैसे-वैसे मानवाधिकारों का हनन भी ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है। सजग नागरिकों और पीयूसीएल जैसे मानवाधिकार संगठनों के लिए यह चिंता की बात है। उत्तर प्रदेश के लिए यह और भी चिंता की बात है, क्योंकि मानवाधिकार हनन के मामलों में यह राज्य दूसरे सभी राज्यों के मुकाबले आगे है। सन 2021 के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों के अनुसार देश भर में होने वाले मानवाधिकार हनन के मामलों में 40 प्रतिशत अकेले उत्तर प्रदेश से हैं। यानि वह सबसे आगे है। यह बात गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्य सभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कही थी। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों से बुलडोजर को लोगों के कई अधिकार, जिसमें जीवन का अधिकार भी शामिल है, को कुचलने का पर्याय बना लिया गया है। दुखद यह है कि इस कार्यवाही को मौजूदा सरकार अपने सकारात्मक कामों में गिनती करती है। 3 दिसम्बर को नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरों की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश हत्या, बलात्कार, अपहरण, बलात्कार के बाद हत्या, गैंगरेप और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में पहले स्थान पर है। कई मामलों में बलात्कार और महिला हिंसा के दबंग आरोपियों पर एफआईआर न दर्ज करने, जांच को ठण्डे बस्ते में डालने और उन पर से मुकदमा वापस लेने के मामले भी सर्वाधिक हैं।

पूरे देश में दलित उत्पीड़न के मामलों में कमी आने की बजाय इसमें बढ़ोत्तरी हो रही है एनसीआरबी के 2022 के आंकड़ों मुताबिक इसमें 2021 के मुकाबले 13.1 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, इसमें भी उत्तर प्रदेश काफी आगे है।

भाजपा सरकार के मौजूदा शासनकाल में फर्जी मुठभेड़ के अप्रत्याशित रूप से बढ़े मामलों ने पूरे देश ही नहीं, दुनिया के मानवाधिकार संगठनों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इसके अलावा हिरासत में मौत के मामलों में भी उत्तर प्रदेश आगे है। केवल मार्च के महीने और अप्रैल की शुरूआत में ही उत्तर प्रदेश से कुल 6 हिरासत में मौत के मामले सामने आये हैं, यह बेहद चिंता का विषय है। अल्पसंख्यकों पर दमन की यह स्थिति है, कि वे पूरे देश में हर समय डर में जीने को अभिशप्त हैं। उत्तर प्रदेश में न सिर्फ अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय बल्कि सभी समुदायों के नागरिक अधिकारों में बड़े पैमाने पर कटौती हुई है।

इस समय उत्तर प्रदेश भी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा है और जनता अपने लिए नई केन्द्रीय सरकार चुनने जा रही है, यह सही मौका है कि हम चुनाव मैदान में उतरने वाली सभी पार्टियों का और नई सरकार चुनने जा रही जनता का ध्यान इन आंकड़ों की ओर भी दिलायें। हम यह मांग करते हैं कि चुनावी दल अपने चुनावी घोषणा पत्रों में मानवाधिकार के पुनर्स्थापना का वादा करें और नई सरकार के गठन के बाद इस दिशा में तत्काल कोई कदम उठाये।

2017 के बाद प्रदेश की सरकार ने नीतिगत तरीके से आरोपियों जिनके खिलाफ कोई भी अपराध सिद्ध नही हुए थे, या फिर सरकार से किन्ही कारणों की वजह से जो सहमत नही थे उनकी संपत्ति को नष्ट करना शुरू कर दिया। अधिकतर मामलों में जल्दबाजी में एक नोटिस थमा दिया जाता है जिससे वो उसके विरुद्ध कोर्ट तक जाए उसके पहले ही नुकसान कर दिया जाता है। सामान्यतः कारण ये दिया जाता है कि फलां घर कोई नियम का उल्लंघन कर रहा था। पब्लिक के सामने खुद की छवि को बचाना, मुस्लिमों या अन्य अल्पसंख्यकों की संपत्ति हो तो साम्प्रदायिक उद्देश्य या किसी सम्पत्ति को हड़पना हो तो ऐसे हथकंडों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

अकबरपुर में हाशियाकृत समूहों के घरों को उजाड़ दिया गया। ऐसे नागरिक जो वहाँ चार दशकों से रह रहे है और राज्य को अनेको प्रकार के टैक्स देते आये है उन्हें अचानक ही अपना घर खोना पड़ा। जिस सरकारी दमन का सामना एक्टिविस्ट, पत्रकार और अन्य लोगों को करना पड़ रहा है वो आग कभी इन्हें भी झुलसाएगी ये उन्होंने कभी सोचा ना था और ये हमारे भीतर दूसरो के लिए सहानुभूति की कमी को दर्शाता है। यही चीज देश भर में स्मार्ट सिटी के नाम पर हुई जहाँ विकास के नाम पर कॉरपोरेट्स के लिए अनेक घर उजाड़ दिये गये। बुलडोजर की कार्यवाही, जिसे सरकार द्वारा 'अपराधियों से निपटने' और 'विकास की कार्यवाही कहा जा रहा है, वास्तव में अन्याय और मानवाधिकारों के दमन की कार्यवाही है। इसे रोकने का वादा लेकर ही वोट दें।

उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में पुलिस व्यवस्था की स्थिति भी बेहद चिंताजनक है कि यहां 13097 ऐसे मामले थे, जो सही तो थे, लेकिन उसे साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पुलिस नहीं दे सकी। ऐसा इसलिए है कि अधिकांश मामलों में पुलिस मामले को रफा-दफा करने की कोशिश करती है। एफआईआर हो भी गयी तो उसकी समय से जांच न करके सुबूतों को नष्ट होने के लिए छोड़ देती है। 2022 में ही महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 10539 मामले ऐसे थे, जिनकी साल के अंत तक भी जांच पूरी नहीं हुई थी जबकि 66939 मामले ऐसे थे, जिन्हें पुलिस ने अपने स्तर पर ही निपटा दिया। महिलाओं पर अपराध के इन चिंताजनक आंकड़ों के बीच पहले हाथरस और फिर इलाहाबाद के गोहरी में दलित लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले से सरकार जिस तरीके से निपटती नजर आयी, वो एक खतरनाक प्रवृत्ति को चिन्हित करती है, जो इन अपराधों को बढ़ावा देने वाली ही है। उत्तर प्रदेश की इस स्थिति को बयान करने के लिए इसी साल फरवरी में घटित कानपुर की यह घटना ही पर्याप्त है कि वहां के सिसोलर थाना क्षेत्र की दो बहनों ने बलात्कार की घटना के बाद धमकी मिलने के कारण आत्महत्या कर ली। इसके एक सप्ताह बाद इस मामले में कार्यवाही न किये जाने, और दबंगों की धमकी के बाद पिता ने भी न्याय न मिल पाने की बेबसी में आत्महत्या कर ली। ऐसी ही घटना इसके पहले जून 2023 में जालौन जिले में हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन से न्याय पाना सामान्य लोगों की पहुंच के बाहर हो चला है।

गैंगरेप और रेप के बाद हत्या के मामले में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। 2022 में उत्तर प्रदेश में गैंगरेप के कुल 3690 मामले दर्ज हुए। पिछले साल ही बीएचयू के आईआईटी कैम्पस में एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ, जिसके आरोपी सत्तासीन पार्टी भाजपा से जुड़े हुए हैं। दो महीने के धरना प्रदर्शन के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, तो यह तथ्य भी सामने आया कि गैंगरेप के बाद आरोपी मध्यप्रदेश विधान सभा चुनावों में भाजपा का प्रचार करने चले गये थे। यह अपराधियों के बढ़े हुए मनोबल को अच्छे से बयान करता है।

बच्चों और बुजुर्गों का सुरक्षित वर्तमान और भविष्य पूरी तरह से सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते। दुखद है कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बाल अपराध, मानव तस्करी और अपहरण के मामले पहले के मुकाबले बढ़े हैं। साथ ही यहां बुजुर्गों के खिलाफ अपराधों में भी बढ़ोत्तरी हुई है। बेशक कई अन्य राज्य इन मामलों में उत्तर प्रदेश से अधिक बुरे हैं, लेकिन यहां इन अपराधों में कमी आने की बजाय इनका बढ़ना चिंता का विषय है।

दलित उत्पीड़न के सर्वाधिक आंकड़े भी उत्तर प्रदेश से ही हैं और ये बढ़ रहे हैं, जबकि सरकार इनके कम होने का दावा करती है। उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ बढ़ते उत्पीड़न आगामी चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों से तत्काल ध्यान देने और जवाबदेही की मांग करते हैं। वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश दलितों के खिलाफ अपराधों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर है, जहां 15,368 मामले दर्ज किए गए, जो देश भर में ऐसे अपराधों का लगभग 28 प्रतिशत है। यह चिंताजनक आंकड़ा बताता है कि राज्य में प्रतिदिन दलितों के खिलाफ अत्याचार के 40 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं।

बताने की जरूरत नहीं कि उत्तर प्रदेश देश की हिन्दुत्ववादी राजनीति का गढ़ बन चुका है। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराये जाने के बाद अल्पसंख्यकों खासतौर मुसलमानों के खिलाफ अपराधों में सरकारी स्तर पर इजाफा हुआ है, यानि यह अपराध अक्सर सरकारी मशीनरी की ओर से हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों का गढ़ बना, तो इसका कारण सिर्फ नागरिकता कानून के ही प्रति मुसलमान समुदाय का गुस्सा नहीं था, बल्कि पिछले कई सालों से मुसलमानों को आतंकवादी के तौर पर प्रोजेक्ट करने का जो सरकारी अभियान चलाया जा रहा था, उनके खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही थी, ये उसका भी नतीजा था। इस आन्दोलन पर मौजूदा सरकार ने जिस तरह का दमन किया वह अपने आप में गैरकानूनी है। 19 दिसम्बर को प्रदेश भर में हुए प्रदर्शनों से सरकार ने सैकड़ों लोगों को जेल में डाल दिया। सरकारी तौर पर 22 लोगों की पुलिस की गोली से हत्या हुई, जिसमें एक 8 साल का बच्चा भी शामिल है। अल्पसंख्यकों का आर्थिक बहिष्कार, विशेषकर उत्तर प्रदेश (यूपी) जैसे राज्यों में, संवैधानिक प्रावधानों और मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। मार्च-अप्रैल 2022 में, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में हिंदू संगठनों ने राज्य के प्रतिनिधियों और सरकारों के मौन या प्रत्यक्ष समर्थन के साथ, मुस्लिम और कुछ ईसाई-स्वामित्व वाले व्यवसायों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। इस तरह के बहिष्कार न केवल अनुच्छेद 15 में निहित गैर-भेदभाव की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करते हैं, बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों की आर्थिक आजीविका पर लक्षित हमले का भी प्रतिनिधित्व करते हैं।

गौरतलब है कि 2020-2022 तक पूरे देश में 4,400 मौतें हिरासत में हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश में अकेले 21 प्रतिशत मौत हुई हैं जो पूरे देश में सबसे अधिक है। यह किसी भी लोकतंत्र के लिए शर्मनाक आंकड़ा है।

भारत में, विशेषकर उत्तर प्रदेश (यूपी) जैसे राज्यों में बढ़ता बेरोजगारी संकट तत्काल ध्यान देने की मांग करता है। अपने नागरिकों को रोजगार देने के वादे को पूरा करने में राज्य की विफलता के परिणामस्वरूप गंभीर परिणाम हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई बार आत्महत्याएं होती हैं और छोटे-मोटे अपराधों में वृद्धि होती है। विकास अर्थशास्त्री दीपा सिन्हा मांग की कमी को दूर करने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रिक्त पदों को भरने के महत्व पर जोर देती हैं। हालाँकि, इस संकट का सबसे चौंकाने वाला पहलू कम फंडिंग और फंड कटौती के कारण शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रिक्तियों की आश्चर्यजनक संख्या में निहित है।

इन सभी तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार हनन के मामले चिंताजनक स्थिति में हैं और तत्काल इस पर ध्यान दिये जाने की जरूरत है। पीयूसीएल की मांग है कि सभी चुनाव लड़ने वाली पार्टियां इन मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित कर मानवाधिकार हनन के मामलों को अपने एजेण्डे में शामिल करे और मानवाधिकारों को सुरक्षित कर उत्तर प्रदेश को अलोकतान्त्रिक होने से बचाये।

(पीयूसीएल उत्तर प्रदेश द्वारा जारी रिपोर्ट का संपादित अंश)